

प्रेस-विज्ञप्ति
प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अग्रिम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान शराब विक्री की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत ब0उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराहीयान के कस्बा में मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब दो व्यक्ति कट्टा लेकर आजमगढ़ की तरफ से आ रहे है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबीर को साथ लेकर बेलईसा चौराहे पर पहुंची और आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगी कि दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल से आजमगढ़ की तरफ से आते हुए दिखायी दिये जिन्हे दिखाकर मुखबीर खास बताया कि साहब यही लोग कट्टा लिये है और किसी अपराध को कारित करने के लिये जा रहे है और स्वयं मौके से हट गया। पास आने पर सम्बन्धित को रोकने का प्रयास किया गया तो अपनी मो0 सा0 रोककर पीछे के तरफ भागना चाहे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम रामविजय पुत्र महेश भारद्वाज ग्राम पिठवल थाना घोसी जनपद मऊ तथा दुसरे ने अपना नाम अब्दुल काफी पुत्र बदरुद्दीन सा0 बलिदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो रामविजय उपरोक्त के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर व 2 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ मो0सा0 को देखा गया तो उसके नम्बर प्लेट पर UP32SC1642 लिखा था जो होण्डा डिलक्स है वाहन का पेपर तलब करने पर नहीं दिखा सके। सख्ती से पूछताछ करने पर बताये कि साहब इस गाडी का सही नं0 UK07DN7140 है जो रामविजय के पिता महेश भारद्वाज के नाम पर पंजीकृत है किन्तु आज हम दोनो लोग मो0सं0 का नम्बर प्लेट बदल कर लूट करने के आशय से जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये. साहब मो0सा0 पर जो नम्बर प्लेट लगा है वह फर्जी है। अभि0गण का यह कार्य धारा 420/467/468/471/34 IPC व 3/25 A ACT का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर अभि0गण को समय 9.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – बलईसा चौराहा बहद ग्राम नीवी दिनांक 07.10.2021 समय 09.10 बजे

***पंजीकृत अभियोग*-**

मु0अ0सं0 121/21 धारा 420/467/468/471/34 भादवि 3/25 आर्म्स

***गिरफ्तार अभियुक्त* –**

1. रामविजय पुत्र महेश भारद्वाज ग्राम पिठवल थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. अब्दुलकाफी पुत्र बदरुद्दीन सा0 वलीदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

***बरामदगी*-**

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**

ब0उ0न0 नवल किशोर सिंह, हे0का0 प्रदीप पाण्डेय, का0 शशिभूषण